"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 मई 2016—वैशाख 26, शक 1938

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-26/दो-गृह/एफएसएल/2015.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 5 के कॉलम क्रमांक (5) में, अंक, चिन्ह एवं शब्द "5200-20200 + ग्रेड वेतन-2200" के स्थान पर, अंक, चिन्ह एवं शब्द "5200-20200 + ग्रेड वेतन-2400" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्रमांक एफ 2-26/दो-गृह/एफएसएल/2015. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-05-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 16th May 2016

NOTIFICATION

No. F 2-26/2-Home/F. S. L./2015.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Forensic Science Laboratory (Non-Gazetted) Ministerial Service Recruitment Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In column number (5) of serial number 5 of Schedule-I, for the figures, symbols and words "5200-20200+Grade Pay-2200", the figures, symbols and word "5200-20200+Grade Pay-2400" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .